

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 575]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2013—पौष 3, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-बी-7(बी)-67-2011-2-पांच-(25).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(एक) विद्यमान अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु- क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं संयुक्त अधीक्षक, मुद्रांक	03	मध्यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-एक	37400—67000+8700
2	उप महानिरीक्षक पंजीयन	06	मध्यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-एक	15600—39100+7600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	वरिष्ठ जिला पंजीयक	17	मध्यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-एक	15600—39100+6600
4	जिला पंजीयक (इससे निरीक्षक पंजीयन तथा मुद्रांक का पूर्व पद भी अभिप्रेत है).	47	मध्यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-दो	15600—39100+5400
5	सिस्टम एनालिस्ट-कम-डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	01	सूचना प्रौद्योगिकी (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-दो	15600—39100+5400
6	सिस्टम मैनेजर	01	सूचना प्रौद्योगिकी (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-दो	15600—39100+5400
7	नेटवर्क मैनेजर	01	सूचना प्रौद्योगिकी (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-दो	15600—39100+5400. ''

(दो) विद्यमान अनुसूची-दो के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनु- क्रमांक	विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		
				सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6(1) (क) देखिए]	सेवा में के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1) (ख) देखिए]	अन्य सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा [नियम 6(1) (ड) देखिए]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	वाणिज्यिक कर विभाग	मध्यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक (राजपत्रित) सेवा				
		1. संयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं संयुक्त अधीक्षक, मुद्रांक	03	-	100 प्रतिशत	-
		2. उप महानिरीक्षक, पंजीयन	06	-	100 प्रतिशत	-
		3. वरिष्ठ जिला पंजीयक	17	-	100 प्रतिशत	-
		4. जिला पंजीयक	47	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-
		5. सिस्टम एनालिस्ट-कम-डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	01	100 प्रतिशत	-	-
		6. सिस्टम मैनेजर	01	100 प्रतिशत	-	-
		7. नेटवर्क मैनेजर	01	100 प्रतिशत	-	- ''

(तीन) विद्यमान अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा तथा अर्हता

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वाणिज्यिक कर विभाग	(1) जिला पंजीयक	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/यू. जी. सी./ ए आई सी टी ई द्वारा अनुमोदित संस्था से कला या विज्ञान (जिसमें किसी तकनीकी या अभियांत्रिकी विषय में उपाधि सम्मिलित है) या वाणिज्य या कृषि में स्नातक की उपाधि.	
	(2) सिस्टम एनालिस्ट-कम-डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/यू. जी. सी./ ए आई सी टी ई द्वारा अनुमोदित संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./ बी.टेक./ एम.सी.ए. में प्रथम श्रेणी या न्यूनतम कुल मिलाकर 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो साथ ही सिस्टम एनेलिसिस तथा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो.	
	(3) सिस्टम मैनेजर	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/यू. जी. सी./ ए आई सी टी ई द्वारा अनुमोदित संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./ बी.टेक./ एम.सी.ए. में प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किए हों साथ ही सिस्टम मैनेजमेंट का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो.	
	(4) नेटवर्क मैनेजर	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/यू. जी. सी./ ए आई सी टी ई द्वारा अनुमोदित संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./ बी.टेक./ एम.सी.ए. में प्रथम श्रेणी या न्यूनतम कुल मिलाकर 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किए हों साथ ही नेटवर्क मैनेजमेंट का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो.”.	

(चार) विद्यमान अनुसूची-चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

**“अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिए)**

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पद पर न्यूनतम सेवा अनुभव	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति का गठन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वाणिज्यिक कर विभाग	1. उप महानिरीक्षक पंजीजन	5 वर्ष	संयुक्त महानिरीक्षक पंजीयन एवं संयुक्त अधीक्षक, मुद्रांक	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य—अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव वाणिज्यिक कर विभाग—सदस्य 3. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग से एक प्रथम —श्रेणी अधिकारी—सदस्य
	2. वरिष्ठ जिला पंजीयक	5 वर्ष	उप महानिरीक्षक पंजीयन	—तदैव—
	3. जिला पंजीयक	5 वर्ष	वरिष्ठ जिला पंजीयक	—तदैव—
	4. वरिष्ठ उप पंजीयक	5 वर्ष	जिला पंजीयक	—तदैव— .”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-बी-7(बी)-67-2011-2-पांच-(25).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की आदेश क्रमांक एफ-बी-7(बी)-67-2011-2-पांच-(25), दिनांक 24 दिसम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 24th December 2013

F. B-7(B)-67-2011-2-V (25).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Registration and Stamp Executive (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(i) for the existing Schedule-I, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-I

(See, rule-5)

Classification, of Service, Pay Scale and Number of posts included in the Services.

S. No.	Name of the Posts included in the service	Total Number of the posts	Classification	Pay-Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Joint Inspector General of Registration and Joint Superintendent of Stamps.	03	Madhya Pradesh Registration and Stamp (Gazetted) Service Class-I	37400—67000+8700
2	Deputy Inspector General of Registration	06	Madhya Pradesh Registration and Stamp (Gazetted) Service Class-I	15600—39100+7600
3	Senior District Registrar	17	Madhya Pradesh Registration and Stamp (Gazetted) Service Class-I	15600—39100+6600
4	District Registrar (It means the previous post of Inspector of Registration and Stamp also)	47	Madhya Pradesh Registration and Stamp (Gazetted) Service Class-II	15600—39100+5400
5	System Analyst-cum-Database Administrator	01	Information Technology (Gazetted) Service Class-II	15600—39100+5400
6	System Manager	01	Information Technology (Gazetted) Service Class-II	15600—39100+5400
7	Network Manager	01	Information Technology (Gazetted) Service Class-II	15600—39100+5400.”.

(ii) for the existing Schedule-II, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-II

(See, rule-6)

Method of Recruitment

S. No.	Name of the Department	Name of the Service	Total Number of posts	Percentage of the number of posts to be filled up		
				By direct recruitment [vide rule 6(1)(a)]	By promotion of the members of the Service [vide rule 6(1)(b)]	By deputation from other service [vide rule 6(1)(c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Commercial Taxes Department	Madhya Pradesh Registration and Stamp (Gazetted) Service				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1. Joint Inspector General of Registration and Joint Superintendent of Stamps.	03	-	100%	-
		2. Deputy Inspector General of Registration.	06	-	100%	-
		3. Senior District Registrar	17	-	100%	-
		4. District Registrar	47	50%	50%	-
		5. System Analyst-cum-Database Administrator.	01	100%	-	-
		6. System Manager	01	100%	-	-
		7. Network Manager	01	100%	-	..

(iii) for the existing Schedule-III, the following Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE-III
(See, rule-8)

Minimum age limit and Qualification for Direct Recruitment

Name of the Department	Name of the post	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Commercial Taxes Department	(1) District Registrar	21 years	40 years	A bachelor's degree in Arts or Science (including the degree in any Technical or Engineering subject) or commerce or Agriculture from any recognized University/Institution approved by UGC/AICTE.	
	(2) System Analyst-cum Database Administrator	21 years	40 years	Must have secured first division or minimum aggregate 60% marks or equivalent grade in B.E./B.Tech./ M. C. A. in Computer Science/ Computer Application/Information Technology from a recognized University/ Institution approved by UGC/AICTE with minimum one year experience of System Analysis and Database Administration.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(3) System Manager	21 years	40 years		Must have secured first division or minimum aggregate 60% marks or equivalent grade in B. E./B. Tech./M. C. A. in Computer Science/Computer Application/Information Technology from a recognized University/institution approved by UGC/AICTE with minimum one year experience of System Management.	
	(4) Network Manager	21 years	40 years		Must have secured first division or minimum aggregate 60% marks or equivalent grade in B.E./B. Tech./M. C. A. in Computer Science/Computer Application/Information Technology from a recognized University/institution approved by UGC/AICTE with minimum one year experience of Network Management.”.	

(iv) for the existing Schedule-IV, the following Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE-IV
(See, rule-14)

Name of the Department	Name of the post from which promotion is to be made	Minimum service experience on the post specified in column (2) for Promotion	Name of the post to which promotion is to be made	Constitution of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Commercial taxes Department	1. Deputy Inspector General of Registration	5 years	Joint Inspector General of Registration and Joint Superintendent of Stamps.	1. Chairman of the Public Service Commission or a member of the commission nominated by him — Chairman 2. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary Commercial Taxes Department — Member. 3. Inspector General of Registration and Superintendent of Stamps Madhya Pradesh. — Member. 4. One Class-I Officer from Scheduled Caste/Scheduled Tribes Category—Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Senior District Registrar	5 years	Deputy Inspector General of Registration.	—do—
	3. District Registrar	5 years	Senior District Registrar	—do—
	4. Senior Sub-Registrar	5 years	District Registrar	—do—.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.